

न्यायालय जिला कलेक्टर, गंगापूर सिटी
पीठासीन अधिकारी-डॉ० गौरव सैनी

प्रकरण संख्या- 13/23
गोविन्दी देवी पत्नि मोतीलाल उम्र 72 वर्ष जाति मीना निवासी बाटोदा तहसील बरनाला।

तारीख रज्जू-12/09/23

—अपीलान्त

बनाम

धनश्याम पुत्र मोतीलाल उम्र 47 वर्ष जाति मीना निवासी बाटोदा तहसील बरनाला।
संरपच ग्राम पंचायत बाटोदा पंचायत समिति बामनवास।

निर्णय

—रेस्पोंडेन्ट्स


दिनांक-14/05/2024

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत बाटोदा के पट्टा सं० 18 में पारित निर्णय दिनांक 25.11.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत किया है। उक्त पट्टे द्वारा संरपच ग्राम पंचायत बाटोदा ने अप्रार्थी सं० 1 के हक में पट्टा जारी किया है, साथ ही प्रार्थी ने पट्टा सं० 18 में पारित निर्णय दिनांक 25.11.2010 निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई। अप्रार्थी सं० 1 व 2 स्वयं उपस्थित होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि अप्रार्थी सं० 1 निगरानीकर्ता के पुत्र है। निगरानीकर्ता के पति व अप्रार्थी सं० 1 के पिता मोतीलाल की मृत्यु हो चुकी है। निगरानीकर्ता के पति व अप्रार्थी सं०-1 के पूर्वज स्व० श्री मोतीलाल के स्वामित्व व आधिपत्य का एक आवासीय पैतृक भूखण्ड स्थित ग्राम बाटोदा तहसील बरनाला रहा है। उक्त सम्पत्ति निगरानीकर्ता, अप्रार्थी सं० 1 व अन्य पुत्र पुत्रियों की संयुक्त सम्पत्ति रही है। अप्रार्थी सं० 1 द्वारा उक्त सम्पत्ति को हडपने के उद्देश्य से विधि विरुद्ध तरीके से निगरानीकर्ता की बिना सहमति के बदनीयति पूर्वक वादग्रस्त भूखण्ड का पट्टा बनवा लिया है जो निरस्त योग्य है। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस यह भी कथन किया कि उभय पक्षों के मध्य सिविल न्यायालय में राजीनामा हो गया है तथा अप्रार्थी सं० 1 ने अपने जबाब में स्वयं अंकित किया है कि पक्षकारान में मध्य राजीनामा हो गया है। राजीनामा के अनुसार प्रार्थीया व अप्रार्थी सं० 1 में मध्य तय हुआ है कि अप्रार्थी सं० 1 द्वारा वादग्रस्त भूखण्ड को शामिल करते हुए दिनांक 25.11.2010 को प्रार्थीया की बिना सहमति के ग्राम पंचायत बाटोदा द्वारा अप्रार्थी सं० 1 के हक में जारी किया गया पट्टा निरस्त किये जाने में अप्रार्थी सं० 1 को कोई आपत्ति नहीं है तथा अप्रार्थी सं० 1 स्वयं ने निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार करने हेतु सहमति व्यक्त की है, साथ ही वकील प्रार्थी ने पट्टा सं० 18 में पारित निर्णय दिनांक 25.11.2010 निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

अप्रार्थी सं० 1 स्वयं ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दौराने बहस निवेदन किया कि हमारा राजीनामा हो गया है। अतः निगरानीकर्ता प्रार्थीया की निगरानी स्वीकार की जाकर पट्टा निरस्त


जिला कलेक्टर
गंगापूर सिटी (राजग)


करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है , साथ ही अप्रार्थी सं० 1 ने पट्टा सं० 18 में पारित निर्णय दिनांक 25.11.2010 निरस्त करने हेतु निवेदन किया है तथा अप्रार्थी सं० 2 ने दौराने बहस उक्त पट्टा निरस्त करने के संबंध में अपनी अनापत्ति जाहिर की है।


वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में उभय पक्षों ने निगरानी स्वीकार करते हुए पट्टा निरस्त करने हेतु निवेदन किया है। पत्रावली में संलग्न मा० सिविल न्यायाधीश बामनवास के प्रकरण सं० 38/2023 में पारित निर्णय दिनांक 22/08/2023 के अनुसार उभय पक्षों के राजीनामा के आधार पर दिनांक 25.11.2010 को बनवाये गये पट्टे को जिसे दिनांक 29.12.2010 को रजिस्टर्ड करवाया गया है, को निरस्त किया गया है। चूंकि उक्त प्रकरण में विवादित पट्टे को निरस्त करने हेतु उभय पक्षों ने अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मा० सिविल न्यायालय द्वारा भी राजीनामा के आधार पर दिनांक 25.11.2010 को बनवाये गये पट्टे को जिसे दिनांक 29.12.2010 को रजिस्टर्ड करवाया गया है, को भी निरस्त किया जा चुका है, साथ ही अप्रार्थी सं० 1 व 2 द्वारा निगरानी गुजार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के संबंध में कोई आपत्ति तथा कथन दौराने बहस प्रस्तुत नहीं किया है।

अतः उक्त परिस्थितियों में हमारे विनम्र अभिमत में निगरानी स्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानी गुजार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत बाटोदा के पट्टा सं० 18 में पारित निर्णय दिनांक 25.11.2010 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14/05/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(डॉ० गौरव सैनी)
जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी